विधान परिषद के द्‌वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित मा0 सदस्य विधान परिषद डा0 आकाश अग्रवाल, द्‌वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
22(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि आगरा जिले की शहरी विद्‌युत आपूर्ति करने की व्यवस्था लगभग सन 2011 से टोरेंट पावर लिमिटेड को दे दी गई एवं जिसके तहत विद्‌युत आपूर्ति, विद्‌युत बिल एकत्रित करना, नयी लाईन डालना, नए विद्‌युत मीटर का आर्डर देना, पुराने सभी उपभोक्ता के घर नए मीटर लगा दिए गए, ऐसे सभी कार्य टोरेंट पावर लिमिटेड कर रही है?	जी हाँ, आगरा शहरी क्षेत्र का वितरण वर्ष 2010 में मै0 टोरेन्ट पावर लि0 को हस्तान्तरित की गयी है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाईजी एग्रीमेंट (डीएफए) में निहित प्रावधानों के अनुसार बिलिंग, राजस्व संग्रह सहित केबिल बिछाना आदि विभिन्न गतिविधियों के लिए मै0 टोरेन्ट पावर लि0 आगरा को अधिकृत किया गया है।
(ख) क्या यह सब कार्य करने की अनुमति टोरेंट पावर लिमिटेड को दी गयी है एवं इस कार्य को करने के लिए टोरेंट पावर लिमिटेड के लिए क्या शर्ते रखी गयी है और इसके बदले में टोरेंट पावर लिमिटेड को क्या भुगतान/ इंसेटिव/ लाभ दिए जाते हैं?	मै0 टोरेन्ट पावर लि0 को डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाईजी एग्रीमेंट में निहित प्रावधानों (शर्तो) के अनुरूप कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।
(ग) वर्ष 2011 से जबसे टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा की शहरी क्षेत्र की विद्‌युत आपूर्ति संभाल रही है तब से विद्‌युत लाइन लास एवं विद्‌युत चोरी एवं कितने यूनिट विद्‌युत का संग्रह वर्षवार किया गया है?	इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मै0 टोरेन्ट पावर लि0 (फ्रेन्चाईजी द0वि0वि0नि0लि0, आगरा) द्‌वारा आगरा की शहरी क्षेत्र की विद्‌युत आपूर्ति वर्षवार टी0 एण्ड डी0 हानियों में कमी का विश्लेषण (संलग्नक-1) अनुसार है।
(घ) क्या आगरा जिले की विद्‌युत आपूर्ति करने की सभी शर्तो और नियमों को उक्त संस्था पूर्ण कर रही है?	जिले की विद्‌युत आपूर्ति हेतु अनुबन्ध के अनुरूप सभी शर्तों और नियमों का पालन मै0 टोरेन्ट पावर लि0 आगरा द्‌वारा कराया जा रहा है।
(ड.) क्या टोरेंट पावर लिमिटेड को नए मीटर अपनी किसी भी फैक्ट्री या अन्य स्थान से बनवाने की एवं उसे उपभोक्ताओं के घर पर लगवाने की अनुमति भी दी गई थी?	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनुबन्ध (डीएफए) में निहित प्रावधानों के अनुसार मै0 टोरेन्ट पावर लि0 को मीटरों की खरीद एवं लगवाने के लिए अधिकृत किया गया है।

(च) क्या टोरेंट पावर लिमिटेड के मीटर अधिक गति से चलते हैं जिससे विद्युत का बिल ज्यादा यूनिट दिखाया जाता है, इसके संदर्भ में आगरा जिले के उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या कोई नीति बनाई गई थी, जिसके तहत विद्युत मीटर को चेक कराया गया कि वह सही स्पीड में चल रहे है और मीटर रीडिंग सही दिखा रहे हैं?	जी नहीं, मै0 टोरेन्ट पावर लि0 द्वारा मीटर के परीक्षण करने हेतु एन0ए0बी0एल0 से मान्यता प्राप्त मीटर परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है जिसमें आवश्यकता / प्रकरण अनुसार मीटर टैस्टिंग की जाती है।
(छ) यदि हाँ, तो विद्युत मीटर के सही माप को चेक करने के लिए अब तक क्या-क्या कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं?	उपरोक्तानुसार।
(ज) यदि नहीं, तो विद्युत मीटर टोरेंट पावर लिमिटेड के द्वारा लगाए गए हैं वह सही ढंग से कार्य करें इसके लिए भविष्य में कोई नीति बनायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(झ) क्या टोरेंट पावर लिमिटेड कार्य पूर्ण नहीं कर रही है और उसके आधार पर उसका अनुबंध खत्म किया जायेगा?	मै0 टोरेन्ट पावर लि0, आगरा द्वारा विद्युत वितरण का कार्य अनुबन्ध के अनुरूप किया जा रहा है।
(ञ) वर्ष 2011 से टोरेंट पावर लिमिटेड के द्वारा कोई अनुचित कार्य किए गए हैं, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है?	मै0 टोरेन्ट पावर लि0, आगरा द्वारा (डीएफए) के प्रावधानों के विचलन किये जाने पर विभाग द्वारा मै0 टोरेन्ट पावर लि0 आगरा के विरूद्ध निम्न प्रकरणों में कार्यवाही की गयी- 1. अनुमन्य ऊर्जा से अतिरिक्त आहरित ऊर्जा पर टैरिफ इन्डक्शेसन रेशियो की धनराशि का भुगतान न करना। 2. रेगुलेटरी सरचार्ज प्रथम एवं द्वितीय की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान द0वि0वि0नि0लि0, आगरा को न करना। 3. विद्युत कर की धनराशि का खपत की गयी ऊर्जा के आधार पर भुगतान न करना। उक्त प्रकरणों में मै0 टोरेन्ट पावर लि0

आगरा द्वारा मा0 कामर्शियल कोर्ट लखनऊ एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में द0वि0वि0नि0लि0, आगरा को उक्त विषयक देय धनराशि के विरूद्ध स्थगन/ आर्बीट्रेशन हेतु वाद दाखिल किये गये हैं।

मा0 कामर्शियल कोर्ट लखनऊ द्वारा रेगुलेटरी सरचार्ज की बकाया धनराशि के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किये गये हैं।

द0वि0वि0नि0लि0, आगरा द्वारा मा0 कामर्शियल कोर्ट लखनऊ के स्थगन आदेश के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एफ0ए0एफ0 ओ0 वाद दाखिल किया गया है जो मा0 न्यायालय में लम्बित है एवं अन्य वाद मा0 न्यायालय में लम्बित हैं।

(ट) यदि नहीं, तो उक्त के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

प्रश्न नहीं उठता।

ए0 के0 शर्मा
ऊर्जा मंत्री।

संलग्नक-01

Annexure-1 (Year on year T&D loss)

PARTICULARS	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Input Energy (MUs)	2,114.03	2,207.56	2,207.94	2,206.42	2,148.47	2,143.86	2,103.15	2,127.51	2,016.98	2,058.67	1,914.36	2,029.82
Sales (MUs)	1,025.02	1,047.85	1,109.79	1,258.80	1,331.11	1,482.13	1,559.31	1,693.11	1,706.65	1,781.11	1,649.93	1,769.83
T&D Loss (MUs)	1,089.01	1,159.71	1,098.15	947.62	817.36	661.73	543.84	434.40	310.33	277.55	264.43	259.99
T&D Loss %	51.51%	52.53%	49.74%	42.95%	38.04%	30.87%	25.86%	20.42%	15.39%	13.48%	13.81%	12.81%

(AGM Torrent Power)

[Kuldeep Kulshrestha]
EE, EUDD III Agra

EE Com.

Scanned with CamScanner